मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 242/मु.स./2016 भोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 2016

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
पंजी.क्र. 2705/2016
दिनांक 25/7/16

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष/
जिलाध्यक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः— माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में अविलंब/विधिक-समयावधि में विशेष अनुमति याचिका/अपील आदि प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

संदर्भः— 1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन का परिपत्र क्र. एफ–11–22–94–9–एक, भोपाल, दिनांक 09 अगस्त, 1994.

2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का परिपत्र क. 160/पी.एस./लॉ/95, दिनांक 11 दिसंबर, 1995.

यह देखने में आया है कि शासन की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका/अपील आदि प्रस्तुत करने में निर्धारित विधिक-समयावधि का ध्यान नहीं रखा जाता है, और ऐसी विलंबित प्रस्तुति पर, माननीय न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में कड़ा रूख अपना कर कॉस्ट अधिरोपित कर, उक्त अपील को निरस्त कर दिया गया है। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष, शासन को अनेक बार अत्यंत अप्रिय स्थिति का सामना करने के साथ-साथ, गुण-दोषों पर न्याय से वंचित होना पड़ता है।

इस संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित परिपत्र की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है, जिसका कड़ाई से पालन न होने की स्थिति चिंतापूर्ण है। भविष्य में ऐसी अप्रिय/हानिकर-स्थिति उत्पन्न न हो, इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका/अपील/पुनरीक्षण आदि दायर किए जाने में अनावश्यक विलंब न किया जावे और कठोरतापूर्वक निर्धारित विधिक अवधि में ऐसे प्रकरणों को दायर करना सुनिश्चित किया जावे।

most urgent
DS(K)
EinC
for wide circulation please.

2..

सुलभ संदर्भ हेतु लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 115, 116, 131 एवं 133 अवलोकनीय हैः–

115. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन,–

(क) उस मृत्यु दण्डादेश की जो सेशन न्यायालय द्वारा या अपनी आरंभिक दाण्डिक अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है ।	तीस दिन	दण्डादेश की तारीख
(ख) किसी अन्य दण्डादेश की या ऐसे आदेश की जो दोषमुक्ति का आदेश न हो–		
(i) उच्च न्यायालय में	साठ दिन	दण्डादेश या आदेश की तारीख
(ii) किसी अन्य न्यायालय मे	तीस दिन	दण्डादेश की आदेश की तारीख

116. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन,–

(क) किसी उच्च न्यायालय में, किसी डिक्री या आदेश की;	नब्बे दिन	डिक्री या आदेश की तारीख
(ख) किसी अन्य न्यायालय में, किसी डिक्री या आदेश की	तीस दिन	डिक्री या आदेश की तारीख

131. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन पुनरीक्षण की उसकी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय में।	नब्बे दिन	जिस डिक्री या आदेश या दण्डादेश का पुनरीक्षण ईप्सित हो, उसकी तारीख।

133. अपील करने की विशेष इजाजत के लिए उच्चतम न्यायालय में,–

(क) उस मामले में, जिसमे मृत्यु दण्डादेश अन्तर्वलित हो;	साठ दिन	निर्णय, अंतिम आदेश या दण्डादेश की तारीख
(ख) उस मामले में जिसमे उच्च न्यायालय द्वारा अपील की इजाजत देने से इंकार किया गया था;	साठ दिन	इंकार करने के आदेश की तारीख
(ग) किसी अन्य मामले में ।	नब्बे दिन	निर्णय या आदेश की तारीख

इसके अलावा, अपील/पुनरीक्षण/विशेष अनुमति याचिका के प्रस्ताव के संबंध में "म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, विभागीय नियमावली" के अंतर्गत भी जो नियम बनाए गए हैं, वे निम्नानुसार हैं :–

दाण्डिक प्रकरणों में उच्च न्यायालय हेतु परिसीमा काल–

नियम 111 (2)	दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील	अपील प्रस्ताव तीस दिन के भीतर
नियम 116	(विशेष पुलिस स्थापना के मामले में दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील)	अपील प्रस्ताव चार सप्ताह के भीतर
नियम 121	जेल अपील	अपील प्रस्ताव दो सप्ताह के भीतर
नियम 122 (3)	पुनरीक्षण प्रस्ताव	पुनरीक्षण प्रस्ताव चार सप्ताह के भीतर

दाण्डिक प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय हेतु परिसीमा काल–

नियम 128 (2) उच्च न्यायालयों के नियमों में संविधान के अनुच्छेद 132(1) या 134(1)(ग) के अधीन प्रमाण पत्र के लिए कोई याचिका, निर्णय या अंतिम आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तावित है, मृत्युदण्ड के मामले में सात दिन के भीतर, अन्य मामले में 15 दिन के भीतर फाइल की जाएगी,

(3) जहां उच्च न्यायालय ने अपील करने की अनुमति से इन्कार कर दिया हो, तब उस दिनांक से 60 दिन के भीतर तथा अन्य मामलों में निर्णय या आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जाएगी।

सिविल वाद/सिविल अपील प्रकरणों में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रकरण दायर करने के लिए :–

संलग्न परिपत्र 160/पी.एस./लॉ/95, दिनांक 11 दिसंबर 1995 में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अतः अपील/पुनरीक्षण/विशेष अनुमति याचिका हेतु प्रस्ताव भेजे जाने में एवं अनुमति पश्चात् अपील/पुनरीक्षण/विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने में निर्धारित विधिक अवधि का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे। इस संबंध में, किसी भी प्रकार की असावधानी, उपेक्षा या त्रुटि के लिए, प्रकरण हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी एवं अन्य उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

12/8/16

(ॲन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव